संख्या- वी0आई0पी0-05/एक-4-2021-11बी-4/12/1/2021/सम्पूर्ण समाधान दिवस

प्रेषक.

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ/दिनांक: 16 जुलाई,2021

विषयः- **'सम्पूर्ण समाधान दिवस' कोविड-19 प्रोटोकाल के साथ आयोजित किया जाना।**

महोदय,

शासन के पत्र संख्या- 962/एक-4-2017-111बी-4/2012, दिनांक 21 जुलाई, 2017 द्वारा "सम्पूर्ण समाधान दिवस" प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे मंलवार को आयोजित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये। तत्क्रम में पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2020 द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सम्पूर्ण समाधान दिवस के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में "सम्पूर्ण समाधान दिवस" **प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार** को तहसील मुख्यालय पर 10:00 बजे से 02:00 तक आयोजित किया जाए। 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के आयोजन के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

3.1 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के आयोजन की व्यवस्था

(i) जिलाधिकारी द्वारा क्रमानुसार प्रत्येक तहसील में आयोजित 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की अध्यक्षता की जाएगी, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा (अन्य प्रतिभागी अधिकारियों का विवरण **अनुसूची-1**)। "उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के अतिरिक्त अन्य तहसीलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी अपर जिलाधिकारी द्वारा 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की अध्यक्षता की जायेगी, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण/नगर) द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा (अन्य प्रतिभागी अधिकारियों का विवरण **अनुसूची-2**)। शेष तहसीलों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की अध्यक्षता की जाएगी, जिसमें सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।

(ii) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में भाग लेने वाले मा0 सासंदगण व मा० विधायकगण को सम्मानपूर्वक बैठने हेतु एक प्रमुख स्थान (Head Table) की व्यवस्था की जायेगी।

(iii) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के आयोजन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों का रोस्टर जिलाधिकारी द्वारा माह प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रसारित कर दिया जाएगा।

(iv) कम्प्यूटरीकरण में व्यय होने वाली धनराशि की व्यवस्था परिषदादेश संख्या-1106/एक-18-2009/क-सेल/10/2004 टी0सी0 दिनांक 04 अगस्त, 2009 द्वारा की गयी थी। उक्त व्यवस्था प्रार्थना-पत्रों के कम्प्यूटरीकरण हेतु यथावत प्रभावी रहेगी।

(v) आयोजन स्तर के मुख्य द्वार पर 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का बैनर लगाया जाएगा एवं जन सामान्य को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के बारे में प्रेस व अन्य माध्यमों से जन सामान्य को अवगत भी कराया जाएगा।

(vi) मण्डलायुक्त द्वारा प्रत्येक 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की तिथि पर अपने मण्डल की किसी एक तहसील का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। इसी प्रकार संयुक्त विकास आयुक्त तथा अपर आयुक्त द्वारा भी मण्डलायुक्त के निर्देशानुसार 'सम्पूर्ण समाधान दिवसों का निरीक्षण किया जाएगा।

3.2 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति, पंजिकाओं के प्रारूप एवं पंजीकरण

(i) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में आवेदकों द्वारा जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाएंगे, उनमें आवेदक का अथवा उसके किसी परिचित का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जायेगा।

(ii) प्रार्थना-पत्र दर्ज होने के पश्चात अध्यक्ष के समक्ष आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष आवेदनकर्ता की सुनवाई कर उसके तत्काल निस्तारण का यथासम्भव प्रयास करेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को निर्देशित करेगा।

(iii) निर्देशोपरान्त प्रार्थना-पत्र का पंजीकरण कर उस प्रार्थना पत्र की स्कैन एवं फोटोकापी कराकर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी से प्राप्ति का हस्ताक्षर रजिस्टर पर लेकर प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iv) यह समस्त अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों को उसी दिन प्राप्त करने के बाद ही तहसील कार्यालय छोड़े।

(v) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की पूरी व्यवस्था सम्बन्धित तहसीलदार की देख -रेख में की जाएगी। 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' आयोजन के बाद उसी दिन सभी प्रार्थना-पत्रों का कम्प्यूटर पर अंकन कराना भी तहसीलदार व उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। प्रार्थना-पत्र का कम्प्यूटरीकरण (स्कैनिंग, अपलोडिंग एवं विवरण फीडिंग) समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0/I.G.R.S) (jansunwai.up.nic.in) से सम्बन्धित सम्पूर्ण समाधान दिवस' के पोर्टल पर किया जाएगा। शिकायती प्रार्थना पत्र पर अपेक्षित निस्तारण कार्यवाही व प्रगति की स्थिति भी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर समय-समय पर अपलोड की जायेगी।

3.3 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण एवं अनुश्रवण

(i) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त शिकायतों के अवलोकन से यह पाया गया कि 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में मुख्य रूप से राजस्व विभाग, गृह विभाग, सामाजिक न्याय विकास एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित निम्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं:-

श्रेणी-(क) राजस्व विभाग से सम्बन्धित

(एक) निजी भूमियों का सीमांकन/पैमाईश।

(दो) निजी भूमियों का अविवादित नामांतरण (प0क0-1 एवं प0क0-11)

(तीन) खतौनी में नाम व अन्य अशुद्धियों का शोधन।

(चार) फर्जी बैनामे के आधार पर नामांतरण/कब्जा।

(पाँच) अन्य शिकायतें।

श्रेणी-(ख) राजस्व एवं गृह विभाग से सम्बन्धित

(एक) राजकीय एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमियों यथा-चकरोड, रास्ता, ताला खलिहान, नाली, चारागाह आदि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे।

(दो) निजी भूमियों पर अन्य भूमिधरों/सहखातेदार द्वारा अवैध कब्जा।

(तीन) पट्टे की भूमियों पर कब्जा।

(चार) भूमि विवादों में पुलिस प्रशासन द्वारा पक्षपात किया जाना।

(पाँच) आबादी भूमि में पानी का निकास व आवागमन अवरूद्ध करना।

(छः) अन्य शिकायतें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

श्रेणी-(ग) गृह विभाग से सम्बन्धित

(एक) मारपीट, गुमशुदगी, चोरी आदि जैसे छोटे अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करना।

(दो) अन्य शिकायतें।

श्रेणी-(घ) सामाजिक न्याय, विकास एवं अन्य विभाग से सम्बन्धित

(एक) विभिन्न प्रकार की पेंशन की मॉग/स्वीकृति/भुगतान।

(दो) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की स्वीकृति व संचालन में अनियमितता।

(तीन) आवासीय योजनाओं का लाभ।

(चार) राशनकार्ड बनाने की मॉग एवं राशन वितरण में अनियमितता।

(पाँच) हैण्डपम्प लगाने की मांग।

(छ.) खड़ण्जा व नाली निर्माण की मॉग।

(सात) विद्युत बिल में गड़बड़ी, विद्युत संयोजन, विद्युत विच्छेदन एवं ट्रांसफार्मर बदलना।

(आठ) नहर के कटान व राजकीय ट्यूबवेल की मरम्मत।

(नौ) निजी वृक्षों के पातन की अनुमति।

(दस) राजकीय चिकित्सालयों में समुचित उपचार व लाभार्थी योजनाओं का लाभ न मिलना।

(ग्यारह) अन्य शिकायतें।

(ii) ऊपर उप प्रस्तर-1 में उल्लिखित श्रेणी (क) की समस्याओं को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित लेखपाल की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जाएगा। श्रेणी (ख) की समस्याओं का तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित थाने के हेड कांस्टेबल की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जाएगा। श्रेणी (ग) की समस्याओं को निस्तारण हेतु प्रकरण सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक को सन्दर्भित कर दिया जाएगा। श्रेणी (घ) की समस्याओं को खण्ड विकास अधिकारी व सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वयं अथवा यथावश्यक टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जाएगा। गम्भीर एवं अतिसंवेदनशील मामलों का निस्तारण सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा स्वयं यथावश्यक ट्रैक्टर व जे0सी0वी0 मशीन का उपयोग कर किया जाएगा और इन उपकरणों एवं मशीनों के उपयोग पर होने वाला व्यय सुसंगत नियमों के अन्तर्गत अतिक्रमणकर्ता अथवा अवैध कब्जेदार से वसूला जाएगा। उपरोक्त सभी श्रेणियों के प्रकरणों का यथासम्भव उसी दिन मौके पर टीम भेजकर निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iii) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त शिकायतों में से कम से कम 05 महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील शिकायतों को चिन्हित कर उनके निस्तारण हेतु उन्हें मौके पर टीम भेजकर उसी दिन निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के एक दिन पूर्व मण्डलायुक्त अथवा जिलाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक अथवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक व अन्य अधिकारीगण द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर निस्तारित प्रार्थना-पत्रों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर उनके निस्तारण की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाए तथा जिन प्रकरणों में निस्तारण संतोषजनक नहीं है, उन प्रकरणों पर पुनः विचार हेतु तहसील को वापस कर दिया जाए तथा उन प्रकरणों के निस्तारण से सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पूर्ण समाधान दिवस' के दिन पूछताछ की जाए और उन्हें समुचित निर्देश निर्गत किये जाएं एवं सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर भी तदनुसार कार्यवाही अंकित की जाए। जिलाधिकारीगण द्वारा तहसील दिवस पर, पिछले तहसील दिवस पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की स्थिति तथा वर्तमान तहसील दिवस पर प्राप्त शिकायतों की संख्या व निस्तारण के विषय पर जन सामान्य/मीडिया को भी अवगत कराया जाए।

(v) सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों का निस्तारण 01 सप्ताह में करके उसे जिलाधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी के समक्ष अनुश्रवण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। यदि कोई प्रार्थना-पत्र जटिल समस्या के कारण 07 दिन में निस्तारित न होने वाले हों तो उसे 15 दिन में अवश्य ही निस्तारित कर दिया जायेगा। प्राप्त आख्या की संक्षिप्त टिप्पणी का अंकन रजिस्टर व कम्प्यूटर पर किया जायेगा।

(vi) जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी का ध्यान शिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण पर केन्द्रित होना चाहिए। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के रजिस्टर का अवलोकन करते हुए पूर्व सम्पूर्ण समाधान दिवसों की शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेंगे।

(vii) यदि शिकायतकर्ता का समाधान हो गया है तो शिकायतकर्ता को निस्तारण आख्या दिखाकर आख्या पर उसके सन्तुष्टि स्वरूप हस्ताक्षर कराये जायें। यदि शिकायत निराधार पायी जाती है अथवा न्यायालय में वाद दर्ज होने के कारण समाधान सम्भव नहीं है तो शिकायतकर्ता को लिखित रूप में अवगत कराया जायेगा।

(viii) यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा कोई ऐसा आवेदन पत्र दिया जाता है जो उसके द्वारा पूर्व में भी उसी समस्या के निराकरण हेतु दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में दिये गये आवेदन पत्रों के सन्दर्भ एवं क्रमांक भी नवीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवेदन पत्र पर अंकित कराये जायें। दोबारा प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी विशेष ध्यान देंगे एवं इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाय तथा जानबूझकर समुचित कार्यवाही न करने हेतु दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(ix) सम्पूर्ण समाधान दिवसों का राजस्व परिषद एवं शासन के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जायेगा और, निरीक्षण आख्या उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी जो निरीक्षण आख्या का अध्ययन कर समुचित निर्देश जारी करेंगे। निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट **अनुसूची-3** में दी गयी है।

(x) यदि 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं और 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापरक निस्तारण होना नहीं पाया जाता है तो इसके लिये संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(xi) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों तथा शिकायतों का प्रभावी एवं गुणवत्तापरक निस्तारण निर्धारित समयावधि में न करके विलम्ब से करने, शिथिलता बरतने, निस्तारण में रूचि न लेने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(xii) "सम्पूर्ण समाधान दिवस" में प्राप्त शिकायतों के समाधान का अनुश्रवण नियमित रूप से नामित अपर जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी/मण्डलायुक्तगण भी समय-समय पर इसका अनुश्रवण करेंगे तथा शिकायतों के निस्तारण की अद्यावधिक सूचना इलेक्ट्रॉनिकली शासन के संबंधित पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड की जाय।

4- प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जाए। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी एवं आवेदन में कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला चिकित्सालय को सूचित कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5- "सम्पूर्ण समाधान दिवस" पर आने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड प्रोटोकाल यथा दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा स्थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाए। आयोजन से संबंधित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी प्रोटोकाल व दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।

6- अत: उपरोक्तानुसार 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे शनिवार को आयोजन कोविड-19 प्रोटोकाल के साथ सुनिश्चित कराया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या- वी0आई0पी0-05(1)/एक-4-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
(3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(4) स्टाफ आफिसर, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची-1

शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-05/1-4-2021-11बी-4/12 दिनांक 16 जुलाई, 2021 का संलग्नक।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रतिभाग ककरने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों की सूची

क्रमांक	जिला स्तरीय अधिकारी का पदनाम	क्रमांक	जिला स्तरीय अधिकारी का पदनाम
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	19	सहायक निदेशक, मत्स्य
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	20	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
3	जिला विकास अधिकारी	21	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम
4	परियोजन निदेशक	22	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप
5	उप निदेशक (कृषि)	23	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण (जिसके कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित तहसील हो)
6	सहायक निबन्धन (सहकारी समितियां)	24	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत (जिसके कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित तहसील हो)
7	जिला कृषि अधिकारी	25	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई (जिसके कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित तहसील हो)
8	जिला पूर्ति अधिकारी	26	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई
9	जिला गन्ना अधिकारी	27	उप संचालक/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
10	जिला पंजायत राज अधिकारी	28	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
11	जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी	29	बेसिक शिक्षा अधिकारी
12	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	30	जिला विद्यालय निरीक्षक
13	जिला विकलांग कल्याण अधिकारी	31	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी
14	जिला प्रोबेशन अधिकारी	32	उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट
15	जिला समाज कल्याण अधिकारी	33	सचिव, विकास प्राधिकरण
16	जिला कार्यक्रम अधिकारी	34	जिला उद्यान अधिकारी
17	परियोजना अधिकारी, डूडा	35	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
18	जिला सेवायोजन अधिकारी	36	प्रभागीय वनाधिकारी

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची-2

शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-05/1-4-2021-11बी-4/12 दिनांक 16 जुलाई, 2021 का संलग्नक।

मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रतिभाग ककरने वाले तहसील स्तरीय अधिकारियों की सूची

क्रमांक	तहसील स्तरीय अधिकारी का पदनाम
1	अपर पुलिस अधीक्षक
2	पुलिस क्षेत्राधिकारी
3	तहसीलदार
4	उप मुख्य चिकित्साधिकारी
5	पूर्ति निरीक्षक
6	गन्ना निरीक्षक
7	बाल विकास परियोजन अधिकारी
8	सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
9	सहायक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, जल निगम
10	सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, नलकूप
11	सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
12	सहायक अभियन्ता, विद्युत
13	सहायक अभियन्ता, सिंचाई
14	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई
15	चकबन्दी अधिकारी
16	सहायक बेसिक शिक्षा
17	नगर शिक्षा अधिकारी
18	अधिशाशी अधिकारी (संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत)
19	तहसील के समस्त खण्ड विकास अधिकारी
20	तहसील के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थान प्रभारी
21	सहायक विकास अधिकारा (पंचायत)
22	सहायक विकास अधिकारी (कृषि)
23	सहायक विकास अधिकारी, (सहकारी समितियां)
24	सहायक विकास अधिकारी, (समाज कल्याण)
25	सहायक वन संरक्षक
26	खण्ड शिक्षा अधिकारी

नोटः- सम्पूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग के सम्बन्धित तहसील के सभी लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक, तहसील परिसर में उपस्थित रहेंगे व आश्यकतानुसार तहसील दिवस के प्रभारी द्वारा प्रकरण विशेष में बुलाया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची-3

शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-05/1-4-2021-11बी-4/12 दिनांक 16 जुलाई, 2021 का संलग्नक।

'सम्पूर्ण समाधान दिवस का राजस्व परिषद एवं शासन के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट।

1- क्या जनपद में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' निर्धारित दिवस पर आयोजित हो रहे हैं?

2- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में जनसमस्याओं से संबंधित विभाग के आवश्यक/ सक्षम सभी अधिकारी उपस्थित हो रहे हैं? विगत 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में उपस्थित न होने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

3- क्या मण्डलायुक्त द्वारा 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की तिथि पर अपने मण्डल की किसी एक तहसील का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है? क्या इसी प्रकार संयुक्त विकास आयुक्तों तथा अपर आयुक्तों द्वारा भी मण्डलायुक्तों के निर्देशों के अनुसार "सम्पूर्ण समाधान दिवस" का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है?

4- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के प्रारम्भ में जिलाधिकारियों/उपजिलाधिकारियों द्वारा पूर्व सम्पूर्ण समाधान दिवसों के सभी लम्बित सन्दर्भ एवं उनके लम्बित रहने के कारणों की समीक्षा तथा प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की गुणात्मक समीक्षा की जा रही है, और क्या ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, जो जन समस्याओं के निस्तारण में पर्याप्त रूचि नहीं ले रहे?

5- क्या सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनपद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों का गुणात्मक निस्तारण निर्धारित समयावधि में संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, क्या प्रार्थना पत्रों का निर्धारित समयावधि में गुणात्मक निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है?

6- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के अन्तिम निस्तारण की गुणवत्ता का मूल्यांकन/परीक्षण जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा करते हुए अपना अभिमत सम्पूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर में अंकित किया जा रहा है तथा क्या उनके द्वारा स्वयं एवं अन्य अधिकारियों से शिकायतों का वास्तविक समाधान होने के संबंध में शिकायतकर्ता से फोन करके अथवा स्थलीय जांच द्वारा सत्यापन किया जा रहा है?

7- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त कतिपय मामलों में जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त द्वारा शिकायतों के निस्तारण के गुणात्मक निस्तारण की मौके पर जाकर पुष्टि की है?

8- क्या आवेदन पत्रों के अन्तिम निस्तारण की स्थिति से आवेदकों को अवगत कराया जा रहा है?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।